दूरभाष : 06346–232124 (कार्या०)
06346–232490 (आ०)
फैक्स : 06346–232767
ई–मेल : dm-lakhisarai.bih@nic.in

बिहार सरकार

समाहरणालय, लखीसराय

(शस्त्र शाखा)

आदेश

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त निदेश के आलोक में लखीसराय जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञप्ति का National Data Base of Arms Licence (NDAL) के अन्तर्गत डाटा प्रविष्टि NIC दिल्ली द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर किया जाना है, इसी क्रम में पाया गया कि बहुत सारे अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा विगत कई वर्ष से अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं करा रहें हैं फलस्वरूप दिनांक–24.07.2014 को दैनिक समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित की गयी कि सभी अनुज्ञप्तिधारी अपने–अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति का डाटा प्रविष्टि करा लें। पुनः दिनांक–09.06.2015 को दैनिक जागरण में समाचार प्रकाशित की गयी तथा दिनांक–06.06.2015 को दैनिक हिन्दुस्तान में समाचार प्रकाशित की गयी कि लम्बी अवधी से नवीकरण नहीं करानेवाले शस्त्र अनुज्ञप्ति को 15 जून 2015 तक नवीकरण नहीं होने पर अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। इसके अतिरिक्त दिनांक–10.06.2015 को दैनिक हिन्दुस्तान में आवश्यक सूचना प्रकाशित की गयी कि जिले के वैसे अनुज्ञप्तिधारी जिन्होंने कई वर्षों से अपने अनुज्ञप्ति का ना तो नवीकरण/निरीक्षण कराया है और ना ही NDAL के लिए विहित प्रपत्र में सूचना दी है। वैसे सभी अनुज्ञप्तिधारियों की सूची लखीसराय जिला प्रशासन के वेवसाईट www.lakhisarai.bih@nic.in पर अपलोड किया गया। साथ ही निदेश दिया गया कि सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिनों के अंदर अनुज्ञप्तिधारी अपनी–अपनी अनुज्ञप्ति का नवीकरण/निरीक्षण नियमानुसार कराते हुए NDAL के लिए सूचना विहित प्रपत्र में जिला शस्त्र शाखा, लखीसराय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा शस्त्र. अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अनुरूप अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी। जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

इसके अतिरिक्त इस कार्यालय से विविध पत्रांक/दिनांक के माध्यम से शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस को संबंधित थानाध्यक्ष के माध्यम से तामिला कराया गया है, लेकिन नोटिस तामिला कराने के बावजूद भी अब तक निम्नलिखित अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा न तो अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण कराया है और न तो शस्त्र अनुज्ञप्ति का डाटा प्रविष्टि हेतु ऑनलाईन इंट्री कराया है तथा 05 वर्ष से अधिक समय से अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं कराया है, जो निम्न प्रकार है :–

05 वर्ष से अधिक अवधि तक नवीकरण नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची :–

क0	अनुज्ञप्तिधारी एवं पिता का नाम	पता	अनुज्ञप्ति संख्या / वर्ष	अंतिम नवीकरण का वर्ष	नोटिस	शस्त्र संख्या / प्रकार	अनुज्ञप्ति का सीमा क्षेत्र	अभ्युक्ति
1	श्री रामाश्रय सिंह, पे0–शीतल सिंह,	साकिन–कल्याणपुर, थाना–बड़हिया।	02/1979	1981	345/28.05.15	बंदूक	बिहार राज्य	थानाध्यक्ष, बड़हिया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नोटिस लेने से इनकार किया।
2	श्री दरवेश्वर महतो, पे0–जीतू महतो	साकिन–नथनपुर, थाना–बीरूपुर	03/1976	2008	337/28.05.15	बंदूक 1856	मुंगेर जिला	थानाध्यक्ष, बीरूपुर के द्वारा नोटिस का तामिला कराया गया।
3	श्री गोविन्द शरण सिंह, पे0–स्व. रामनाथ सिंह	साकिन–बड़हिया, रामचरण टोला, थाना–बड़हिया	03/1977	2007	343/28.05.15	राईफल 75–0333	भारत गणराज्य	थानाध्यक्ष, बड़हिया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नोटिस लेने से इनकार किया।
4	श्री गोविन्द शरण सिंह, पे0–स्व. रामनाथ सिंह	साकिन–बड़हिया, रामचरण टोला, थाना–बड़हिया	02/1977	2007	342/28.05.15	बंदूक 76716	मुंगेर जिला	थानाध्यक्ष, बड़हिया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नोटिस लेने से इनकार किया।
5	श्री अर्जुन प्रसाद सिंह, पे0–श्री शिव किशोर प्रसाद सिंह	ग्राम–भिड़हा, अमरपुर, थाना–मेदनीचौकी	02/1995	2006	379/28.05.15	बंदूक 3091	बिहार राज्य	थानाध्यक्ष, मेदनीचौकी के द्वारा नोटिस का तामिला कराया गया है।
6	श्री उमाशंकर सिंह, पे0–श्री साधु शरण सिंह	साकिन–अरमा, थाना–कजरा	17/1971	2008	450/30.05.15	बंदूक 2544 C/2	बिहार राज्य	थानाध्यक्ष, कजरा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूरा परिवार बाहर रहता है।
7	श्री कमलेश्वरी प्रसाद मंडल, पे0–यमुना प्रसाद मंडल	साकिन–किरणपुर, थाना–सूर्यगढ़ा	21/1970	1980	469/30.05.15	रिवॉल्वर G-8264	बिहार राज्य	थानाध्यक्ष, सूर्यगढ़ा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नोटिस लेने से इनकार किया।
8	श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह, पे0–आदित्य प्रसाद सिंह	ग्राम–पतनेर, थाना–लखीसराय	05/1969	2008	127/14.03.15	बंदूक 142	मुंगेर जिला	थानाध्यक्ष, लखीसराय के द्वारा नोटिस का तामिला कराया गया।
9	श्री दशरथ प्रसाद शर्मा, पे0–स्व. रामेश्वर प्रसाद शर्मा	ग्राम–औरे, थाना–रामगढ़चौक	05/1960	1987	144/14.03.15	रिवॉल्वर 681	मुंगेर जिला	थानाध्यक्ष, रामगढ़चौक से प्राप्त तामिला प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यू हो चुकी है।
10	मो0 शफीक, पे0–नूर मोहम्मद	ग्राम–भेनौरा, थाना–लखीसराय	05/1981	2010	81/14.03.15	बंदूक 4552 C/2	मुंगेर जिला	थानाध्यक्ष, लखीसराय के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि इनके घर पर कोई नहीं है एवं बंदूक जमा है।
11	श्री सरदार हरवंश सिंह, पे0–स्व. नंद सिंह	ग्राम–नया बाजार, लखीसराय, थाना–कवैया	01/1982	2009	74/14.03.15	बंदूक 2625	मुंगेर जिला	थानाध्यक्ष, कवैया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे लोग यहां नहीं रहते हैं एवं मकान बेचकर कहीं बाहर चले गये हैं।
12	श्री रामशंकर साव, पे0–लोकनाथ प्रसाद साव	ग्राम–नया बाजार, थाना–कवैया	01/1963	1977	139/14.03.15	रिवॉल्वर 701202	भारत गणराज्य	थानाध्यक्ष, कवैया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे लोग यहां नहीं रहते हैं एवं मकान बेचकर कहीं बाहर चले गये हैं।

पॉच वर्ष से अधिक अवधि तक शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं कराना शस्त्र अधिनियम के शर्तों का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत सूची में अंकित क्रमांक–01 से 154 तक के अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्तियों को शस्त्र अधिनियम–1959 की धारा 17 में वर्णित प्रावधान के आलोक में तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। सभी अनुज्ञप्तिधारी/उनके वारिसान को निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब शस्त्र को संबंधित थाना/शस्त्र दुकान में जमा करना सुनिश्चित करें। साथ ही अपना–अपना मूल अनुज्ञप्ति जिला शस्त्र शाखा, लखीसराय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–
जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।

ज्ञापांक 768/शस्त्र, दिनांक :– 28.08.15

प्रतिलिपिः– सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदा0/अनुमंडल पुलिस पदा0, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– थानाध्यक्ष, बड़हिया/कवैया/रामगढ़चौक/मेदनीचौकी/बीरूपुर/सूर्यगढ़ा/कजरा/लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि वर्णित अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को जमा करने हेतु व्यक्तिगत नोटिश निर्गत कर थाना/शस्त्र दुकान में जमा कराना सुनिश्चित करें। यदि अनुज्ञप्तिधारी/उनके वारिसान द्वारा शस्त्र को जमा नहीं किया जाता है तो शस्त्र को जप्त कर थाना के मालखाना में रखना सुनिश्चित करें एवं इसकी सूचना जिला शस्त्र शाखा, लखीसराय को भी उपलब्ध करायें।

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/8/15
जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।